ORDER passed in Original Application No. 1083/2024

न्यायिक अनुभाग Judicial Section <judicial-ngt@gov.in>
Fri, 22 Nov 2024 4:48:00 PM +0530

To "Mr Rai" <dm-jehanabad.bih@nic.in>, "bspcb" <bspcb@yahoo.com>, "Member Secretary" <msbspcb-bih@gov.in>

Cc "mail" <mail@gautamsinghh.com>, "gautamsinghh ind" <gautamsinghh.ind@gmail.com>

Bcc "National Green Tribunal, Eastern Zone Bench, Kolkata" <ngtjudicial-kolkata@gov.in>

Respected Sir/Madam,

I am directed to forward a copy of **the Order dated 08/11/2024 passed in Original Application No. 1083/2024 Dr. Indu Kashyap Applicant(s) Versus State of Bihar Respondent(s).** for your kind perusal & necessary action.
It is also intimated have that, henceforth no pleadings/ report/ documents etc in pending case will be accepted except through E-filing module of NGT.
Pleadings/ report/ documents, etc. filed through E-mail will not be taken on record, unless otherwise directed.

भवदीय / Regards
परामर्शदाता (न्यायिक) / Consultant (Judicial)
राष्ट्रीय हरित अधिकरण / National Green Tribunal
प्रधान न्यायपीठ / Principal Bench
नई दिल्ली / New Delhi - 110001

2 Attachment(s) • Download as Zip • Add To ›

Dr. Indu Kashyap.pdf
309.6 KB •

OA NO 1083 of 2024 in LP 1... .pdf
1.5 MB •

Item No.05 Court No. 2

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 1083/2024

Dr. Indu Kashyap Applicant(s)

Versus

State of Bihar Respondent(s)

Date of hearing: 08.11.2024

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL JUDICIAL MEMBER**
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicants: None

ORDER

1. Dr. Indu Kashyap, Rashtriye Upadhayaksh (Mahila Morcha) Lok Jan Shakti Party (Ra) has sent a letter petition dated 19.01.2024 raising a complaint of unscientific handling and disposal of solid waste by the local bodies in Nagar Parishad, Jehanabad and this letter petition has been registered as Original Application under Sections 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as '**NGT Act, 2010**') in exercise of *suo-moto* jurisdiction in view of law laid down by Supreme Court in ***Municipal Corporation of Greater Mumbai Versus Ankita Sinha and Others, (2022) 13 SCC 401***.

2. Complainant has said that in Ward No.1 near NH-110 and on the North side of city there is a huge dump of solid waste which is on fire for

the last three months and smoke emitting therefrom is causing air pollution rendering life of local people difficult and also causing health hazard. Waste is also being discharged and dumped illegally in river Dardha causing contamination thereof and public land is also being encroached.

3. In our view, complaint made in this application, at the first instance, may effectively be addressed by District Authorities and Statutory Regulator and if they find any violation of environmental laws, appropriate action may be taken in accordance with law against the violator.

4. We accordingly constitute a Joint Committee comprising District Magistrate, Jehanabad, State of Bihar and Bihar State Pollution Control Board.

5. District Magistrate, Jehanabad shall be the Nodal Authority for co-ordination and compliance of this order.

6. Above Committee shall collect relevant information and if finds any violation of environmental laws particularly observance and compliance of Solid Waste Management Rules, 2016, appropriate prohibitive, punitive, preventive and remedial action shall be taken against the violator(s) within two months and a compliance report shall be submitted with Registrar, Eastern Zone Bench of this Tribunal at Kolkata. If Registrar finds that any further order is required, he may place the matter before appropriate Bench.

7. With the above directions, this Original Application is disposed of.

8. A copy of this order be forwarded to District Magistrate, Jehanabad State of Bihar and Bihar State Pollution Control Board by email for requisite compliance.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

November 08, 2024
Original Application No. 1083/2024
M

लोक जनशक्ति पार्टी (रा.)
चुनाव चिन्ह हेलिकॉप्टर

डॉ इन्दु देवी कश्यप
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (महिला मोर्चा)

चिराग पासवान
राष्ट्रीय अध्यक्ष

181/HP/2024
24/01/24

पत्रांक 09
दिनांक 19.01.2024

सेवा में,

न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलफरीदकोट हाउस कॉपरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली-110001 ।

विषय :-जहानाबाद (बिहार) के दरधा नदी को प्रदूषित होन से रोकने तथा जहानाबाद नगर परिषद् के वार्ड नं०-01 बभना के पास शहर के कुड़ा कचड़ा तथा मरा हुआ जानवर फेकने पर रोक लगाने तथा कुड़ा में लगे आग को बुझाने के संबंध में ।

महाशय,

उक्त वर्णित विषय पर आपका ध्यान पुनः जहानाबाद (बिहार) के दरधा नदी तथा नगरपरिषद् जहानाबाद के वार्ड नं0-01 बभना के N.H-110 तथा उसके उत्तर साईड नगर के कुड़ा कचड़ा का अम्बार लगा हुआ है तथा उसमें तीन महीनों से आग लगा हुआ है जिसके धुआँ से बगल से गुजरने वाले तथा बगल में 1 K.M तक धुआँ से पर्यावरण प्रदुषित हो रहा है । इसके पीछे स्कूल, कॉलेज तथा लोगों का घर भी है जिसमें रहने वाले लोगों का दम घुटा हुआ है धुआँ से सांस लेने में कठिनाई हो रही है । उनके स्वास्थ पर प्रतिकुल असर पड़ रहा है । साथ ही शहर के खटालों का मरा हुआ जानवर भी इसी क्षेत्र में फेंक दिया जाता है तथा जहानाबाद जिला मुख्यालय में अवस्थित दरधा नदी को प्रदुषित किया जा रहा है तथा इसके जमीन को अतिक्रमण किया जा रहा है । इसमें शहर की गंदी नाली तथा अस्पताल के कुड़ा भरा जा रहा है । जिससे पर्यावरण पर गंभीर खतरा है ।

अतएव आपसे आग्रह है कि तत्काल वर्णित स्थान पर लगे आग को अग्निशामक सेवा से आग बुझाई जाय तथा यहाँ पर कचड़ा एवं मरा हुआ जानवर को फेंकने पर रोक लगाई जाय ताकि वायु प्रदुषण पर नियंत्रण हो सकें साथ दरधा नदी में शहर के कुड़ा डालने तथा गंदी पानी का नाला से रोक लगाने हेतु समुचित कारवाई किया जाय ।

विश्वासभाजन
19.01.2024
(डा0 इन्दु कश्यप)

465/HP
24/01/24

Mismanagement of Mew Daradha River, E-Z-B

प्रधान कार्यलय- 12 जनपथ, नई दिल्ली-110011 फोन: 011-23794071, 23014050
आवास :- वेंकटेश सदन, राजाबाजार, जहानाबाद (बिहार) 804408
Mob:- 7979033209, 9431830141 Email Id - induk825691@gmail.com

कमेटी गठन कर मांगी रिपोर्ट • पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं जिलाधिकारी होंगे सदस्य

शहर में दरधा नदी को प्रदूषित करने पर एनजीटी नाराज, जारी किया नोटिस

सिटी रिपोर्टर | जहानाबाद

नप बोर्ड की आपसी हितों के टकराव में पर्यावरण को भी पहुंचाया जा रहा नुकसान

नगर परिषद बोर्ड के सदस्यों के आपसी हितों के टकराव के दुष्परिणाम अब एनजीटी तक को झकझोर रही है। दरअसल शहर की सड़कों व मुहल्लों में तो गंदगी को फैलने से रोकने में नाकाम नगर परिषद दरधा नदी में भी कचरा को फैलने से नहीं रोक पा रही है, जिससे शहर में वायु प्रदूषण का स्तर भी खराब हो रहा है। एनएच के किनारे आबादी वाले जगहों पर कचरा डंप करने की आदत को विस्तारित करते हुए नगर परिषद नदी को भी कचरा डंपिंग से मुक्त नहीं करा पा रही है। ऐसे में नदी में कचरा को डंप करने की शिकायत पर एनजीटी ने संज्ञान लिया है। मामले में नगर परिषद की लापरवाही तथा दुष्परिणामों को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कोलकाता स्थित पूर्वी जोन द्वारा स्वतः संज्ञान में लिया है। एनजीटी ने दरधा नदी में कचरा गिरने से शहर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर अपनी चिंता से सीधे जिला प्रशासन को अवगत कराते हुए उसके उपाय के लिए भी निर्देश जारी किया है। दरधा नदी की स्थिति को लेकर एनजीटी की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि जहानाबाद शहर के सभी नालों का गंदा पानी सीधे नदी में गिरता है। इसके अलावा छोटे-मोटे घरेलू उद्योग से निकलने वाले रसायन तथा मेडिकल कचरा का भी निष्पादन इसी में किया जाता है।

मामले में प्रदूषण बोर्ड से लेकर प्रशासन तक को नोटिस

एनजीटी ने नदियों को प्रदूषित करने के मामले में प्रधान सचिव पर्यावरण विभाग बिहार सरकार, बिहार राज्य पर्यावरण कंट्रोल बोर्ड, जिलाधिकारी जहानाबाद तथा एग्जीक्यूटिव आफिसर नगर परिषद जहानाबाद को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। मामले के संवेदनशीलता को देखते हुए एनजीटी के द्वारा एक कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें बिहार सरकार के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं जिलाधिकारी जहानाबाद या उनके प्रतिनिधि कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी के द्वारा चार सप्ताह के अंदर इस संबंध में एनजीटी को अपना जांच रिपोर्ट देने को कहा है। जिलाधिकारी जहानाबाद इस कमेटी के नोडल अधिकारी होंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पर्यावरण एवं नदी के इस तरह विकृत किये जाने तथा दरधा नदी में कचरा गिराने के मामले को एनजीटी ने गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान लिया है।

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माने की राशि वसूलने का है प्रावधान

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानि एनजीटी के पारित आदेश के पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिमाह जुर्माने की राशि वसूलने का प्रावधान किया गया है। बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन के लिए नामित नोडल अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रावधान है। इसके साथ ही जैव चिकित्सा अपशिष्ट समिति का गठन भी करना है। अस्पताल के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों का टीकाकरण कर प्रतिरक्षित करने एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रशिक्षण देने की भी जिम्मेवारी नोडल अधिकारी की तय की गई है।

सरकारी अस्पतालों को लेना है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण पत्र, नहीं हो रहा अमल

मेडिकल वेस्ट को लेकर भी आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। दरअसल प्रावधानों के अनुसार पीएचसी, सीएचसी समेत सभी कोटि के सरकारी अस्पतालों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जैव चिकित्सा अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण पत्र लेना है। लेकिन अब तक इस पर पूरी तरह से अमल नहीं हो रहा है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इसको लेकर सिविल सर्जन को पहले ही पत्र लिखा है। इसमें प्रमाण पत्र लेने के लिए एक नोडल अधिकारी को नामित करने का निर्देश दिया गया है। विभाग के गाइडलाइन के अनुसार सरकारी अस्पतालों की ग्रेडिंग अब बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन के मानकों पर की जाएगी। इसके मुताबिक अस्पताल को न सिर्फ कचरे का उचित प्रबंधन बल्कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण पत्र भी लेना है।

Email **Public Grievance**

52

From : Administrative Section <admn.ngt@nic.in> Wed, Jan 24, 2024 10:03 AM
Subject : Fwd: Adobe Scan Jan 19, 2024 (5).pdf 1 attachment
To : Public Grievance <publicgrievance-ngt@gov.in>

----- Forwarded Message -----
From: rajeshsharma4all@gmail.com
To: publicgrievancengt@gov.in, "Administrative Section" <admn.ngt@nic.in>
Sent: Friday, January 19, 2024 7:29:30 PM
Subject: Adobe Scan Jan 19, 2024 (5).pdf

Created and shared using Adobe Scan.
--
सादर / Regards,

प्रशासन अनुभाग / Administration Section,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण / National Green Tribunal,
प्रधान न्यायपीठ / Principal Bench,
फरीदकोट हाउस / Faridkot House,
कॉपरनिकस मार्ग / Copernicus Marg,
नई दिल्ली / New Delhi-110001

Adobe Scan Jan 19, 2024 (5).pdf
915 KB

53

लोक जनशक्ति पार्टी (रा.)

डॉ इन्दु देवी कश्यप

चिराग पासवान
राष्ट्रीय अध्यक्ष

पत्रांक 09

दिनांक 19.01.2024

सेवा में,

न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव

अध्यक्ष,

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलफरीदकोट हाउस कॉपरनिकस मार्ग,

नई दिल्ली-110003 ।

विषय :-जहानाबाद (बिहार) के दरधा नदी को प्रदूषित होन से रोकने तथा जहानाबाद नगर परिषद् के वार्ड नं०-01 बभना के पास शहर के कुड़ा कचड़ा तथा मरा हुआ जानवर फेकने पर रोक लगाने तथा कुड़ा में लगे आग को बुझाने के संबंध में ।

महाशय,

उक्त वर्णित विषय पर आपका ध्यान पुनः जहानाबाद (बिहार) के दरधा नदी तथा नगरपरिषद् जहानाबाद के वार्ड नं0-01 बभना के N.H-110 तथा उसके उत्तर साईड नगर के कुड़ा कचड़ा का अम्बार लगा हुआ है तथा उसमें तीन महीनों से आग लगा हुआ है जिसके धुआँ से बगल से गुजरने वाले तथा बगल में 1 K.M तक धुआँ से पर्यावरण प्रदुषित हो रहा हैं । इसके पीछे स्कूल, कॉलेज तथा लोगों का घर भी है जिसमें रहने वाले लोगों का दम घुटा हुआ है धुआँ से सांस लेने में कठिनाई हो रही है । उनके स्वास्थ पर प्रतिकुल असर पड़ रहा है । साथ ही शहर के खटालों का मरा हुआ जानवर भी इसी क्षेत्र में फेंक दिया जाता है तथा जहानाबाद जिला मुख्यालय में अवस्थित दरधा नदी को प्रदुषित किया जा रहा है तथा इसके जमीन को अतिक्रमण किया जा रहा है । इसमें शहर की गंदी नाली तथा अस्पताल के कुड़ा भरा जा रहा है । जिससे पर्यावरण पर गंभीर खतरा है ।

अतएव आपसे आग्रह है कि तत्काल वर्णित स्थान पर लगे आग को अग्निशामक सेवा से आग बुझाई जाय तथा यहाँ पर कचड़ा एवं मरा हुआ जानवर को फेंकने पर रोक लगाई जाय ताकि वायु प्रदुषण पर नियंत्रण हो सकें साथ दरधा नदी में शहर के कुड़ा डालने तथा गंदी पानी का नाला से रोक लगाने हेतु समुचित कारवाई किया जाय ।

विश्वासभाजन

19.01.2024

(डा0 इन्दु कश्यप)

प्रधान कार्यालय- 12 जनपथ, नई दिल्ली-110011 फोन: 011-23794071, 23014050
आवास :- वेंकटेश सदन, राजाबाजार, जहानाबाद (बिहार) 804408
Mob:- 7979033209, 9431830141 Email Id - induk825691@gmail.com